संख्या-548/2023/3381/41-2023-222-Budget-2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव**,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक: 07 अगस्त**,** 2023

विषय:- जनपद गोरखपुर में यूनिवर्सिटी गेम्स के अन्तर्गत माह मई 2023 में रोईंग प्रतियोगिता के आयोजन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-263/6-1-1(1728)/2022-23, दिनांक 26.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से जनपद गोरखपुर में यूनिवर्सिटी गेम्स के अन्तर्गत माह मई 2023 में रोईंग प्रतियोगिता के आयोजन के आवश्यक कार्यों हेतु आगणन धनराशि रू0 198.62 लाख सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित कराकर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति मद सं0-39-गोरखपुर में स्थिति पर्यटन स्थलों का विकास से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त प्रायोजना हेतु पर्यटन अनुभाग के शासनादेश सं0-374/2023/2154/001-41-2023-222-Budget-2023, दिनांक 27.04.2023 द्वारा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (सी0एण्ड डी0एस0) को कार्यदायी संस्था चयनित करते हुए धनराशि रू0 198.62 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में यूनिवर्सिटी गेम्स के अन्तर्गत माह मई 2023 में रोईंग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (सी0एण्ड डी0एस0) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 198.62 लाख के सापेक्ष अप्रेजल समिति द्वारा मूल्यांकन लागत रू0 192.93 लाख (जी0एस0टी0 सहित) पर प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

4- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 27.04.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शासनादेश के शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे तथा उसका अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (सी0एण्ड डी0एस0), लखनऊ ।
8. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 7, 9, 10 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. परियोजना प्रबंधक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (सी0एण्ड डी0एस0), यूनिट-42, गोरखपुर ।
11. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।